

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 67/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/127

प्रार्थीगण:-	बनाम	अप्रार्थीगण:-
अणचीदेवी पत्नी रूघनाथ जाति बंजारा भाट, निवासी 308, भाटों का बास, चोटिला, तहसील रोहट जिला पाली		1. राधादेवी पत्नी भंवराराम जाति बंजारा भाट निवासी चोटिला, तहसील रोहट जिला पाली 2. ग्राम पंचायत चोटिला जरिये सरपंच

“पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994”

उपस्थिति :-

1. प्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाणा।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मदनदास वैष्णव।

—: निर्णय :-

दिनांक : 30/03/2026

प्रार्थीया की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत चोटिला द्वारा मिसल संख्या 68/20.02.2014, संकल्प संख्या 02 दिनांक 07.07.2014 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 64 दिनांक 07.07.2014 के विरुद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीया ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी संख्या 1 चोटिला की मूल निवासी है तथा उसका पुश्तैनी रहवासीय मकान मय बाड़ा गाँव में भाटों के बास में स्थित है, जिसके पड़ोस पूर्व दिशा में आम रास्ता एवं दरवाजा, पश्चिम दिशा में आम रास्ता एवं दरवाजा, उत्तर दिशा में लादुराम पुत्र हजारीराम का मकान तथा दक्षिण दिशा में अर्जुनसिंह पुत्र हरीसिंह का मकान स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 5358.5 वर्गफीट है। प्रार्थीया पिछले 70 वर्ष से यही निवासरत है तथा प्रार्थीया की 6 पुत्रीयां हैं। प्रार्थीया तथा उसके पति ने अपने जीवनकाल में किसी भी व्यक्ति को गोद नहीं लिया। अप्रार्थी संख्या 1 एवं उसके पति ने जैर निगरानी मकान का तांला तोड़कर प्रार्थीया की अनुपस्थिति में जबरदस्ती कब्जा कर लिया। राधादेवी पति भंवरलाल ने स्वयं को प्रार्थीया के पति का पुत्र तथा राधादेवी ने स्वयं को पुत्रवधु बताकर प्रश्नगत पट्टा अपने पक्ष में जारी करवा दिया। ग्राम पंचायत ने समक्ष अप्रार्थी ने कोई शुल्क जमा नहीं करवाई, ग्राम का नाम सवाईपुरा काटकर चोटिला अंकित किया। पूर्व से छपी हुई आदेशिका में प्रश्नगत ओदश पारित किये। प्रकरण में कोई भी आपत्ति नोटिस जारी नहीं किया गया। एक ही मकान के दो टुकड़े कर पट्टा जारी किया गया और यदि भंवरलाल को गोदीपुत्र मान भी ले तो भी पुश्तैनी सम्पत्ति का अकेले के पक्ष में पट्टा जारी नहीं करवा सकते। ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों में वर्णित प्रावधानों की अवहेलना करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिसे निरस्त फरमावे।

अति. जिला कलक्टर पाली

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीया के कथनों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि जैर निगरानी पट्टा वर्ष 2014 में जारी किया गया जबकि उक्त निगरानी याचिका वर्ष 2022 में पेश की गई, जो कि प्रथम दृष्टया म्याद बाहर है। प्रार्थीया हितबद्ध पक्षकार नहीं है तथा प्रार्थीया ने जैर निगरानी मकान पर कब्जा करने की नियत से उक्त निगरानी याचिका पेश की है। प्रार्थीया ने मेरे विरुद्ध एफआईआर पेश की है। प्रार्थीया की 6 पुत्रीयां है, कोई भी पुत्र नहीं है तथा भवरलाल अणची के देवर का पुत्र है, जिसे प्रार्थीया ने समस्त रितीरिवाज से गोद लिया था, जो कि राव की बही से प्रमाणित है। गोद के समय से भंवरलाल प्रार्थीया के साथ रहता था तथा उसकी समस्त पुत्रीयों की शादी भी भंवरलाल के द्वारा की गई। अप्रार्थी पर दर्ज एफआईआर में एफआर लगी जिसमें विभिन्न व्यक्तियों के बयान अप्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष नियमानुसार आवेदन पेश किया गया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत भूमि का नक्शा तैयार कर, पंचों की मौका रिपोर्ट तथा आपत्ति इशितहार जारी कर समस्त कार्रवाई कर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, अब यदि प्रकरण में कोई तकनीकी त्रुटि रह जाती है तो उसके लिये अप्रार्थी दोषी नहीं है। सवाईपुरा, चोटिला से ही अलग होकर एक भाग बना है, जिसका मूल गांव चोटिला है। ग्राम पंचायत ने समस्त नियमों की पालना करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। प्रार्थीया ने बिना किसी विधिक आधारों के जैर निगरानी याचिका पेश की है, जिसे निरस्त फरमावे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत चोटिला द्वारा मिसल संख्या 68/20.02.2014, संकल्प संख्या 02 दिनांक 07.07.2014 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 64 दिनांक 07.07.2014 के विरुद्ध पेश की है। अधिवक्ता अप्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि प्रार्थी ने जैर निगरानी याचिका लगभग 08 वर्ष के विलम्ब के बाद पेश की, जो म्याद बाहर है। अधिवक्ता प्रार्थी ने विपक्षी अधिवक्ता के उज्र का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि जब ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज नियमों की अवहेलना करते हुये विधिविरुद्ध तरीके से पट्टा जारी किया गया हो, तो वहां पर समयसीमा बाध्यकारी नहीं होती है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 2000 (2) RLW 911 (FB) Raj. High Court Chimna lal vs State of Rajasthan and others के अनुसार When no period of limitation is provided then in our opinion the same has to be exercised within a reasonable time and that will depend upon facts and circumstances of each case like ; (i) when there is fraud played by the parties; (ii) the orders are obtained by mis-representation or collusion with public officers by the private parties; (iii) Orders are against the public interest; (iv) the orders are passed by the authorities who have no jurisdiction; (v) the order are passed in clear violation of rules or the provisions of the Act by the authorities; and (vi) void orders or the orders are void ab initio being against the public policy or otherwise. The common law doctrine of public policy can be enforced wherever an action affects/offends the public interest or where harmful result of permitting the injury to the public at large is evident. In such type of cases, revisional powers can be exercised by the authority at any time either suo moto or as and when such orders are brouth to their notice.



इसी प्रकार 2018(2) DNJ (Raj.) 497 Usha Jugtawat vs State of Rajasthan Thro' Additional District Collector (Land Conversion) Jodhpur & Ors. में यह यह उल्लेख किया गया कि No limitation for exercising the reisional jurisdiction if pattas were issued in illegal manner and committing fraud. साथ ही न्यायिक दृष्टान्त 2015 (1) DNJ 443 Looni Devi & 10 Ors. vs State of Rajasthan & Ors. में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "Allotment obtained by playing fraud is void and no limitation for setting aside of such void allotment." राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में निगरानी से सम्बन्धित कोई विशेष समय सीमा या सीमित समय का उल्लेख नहीं है। हस्तगत प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2000 (2) RLW 911 (FB) Raj. High Court में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार जब किसी अधिनियम में कोई सीमा अवधि प्रदान नहीं की गई है, तो वह प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा तथा वर्णित 6 प्रकार की कार्रवाई को अवैध माना एवं इस प्रकार के मामलों में, प्राधिकरण द्वारा किसी भी समय पुनरीक्षण शक्तियों को प्रयोग किया जा सकता है या जब भी ऐसे आदेश उनके ध्यान में लाए जाते हैं। साथ ही में विद्वान वकील के इस तर्क पर आते हुए कि 08 वर्ष के अस्पष्ट विलम्ब के बाद जारी किए गए जैर निगरानी पट्टे को चुनौती देने के लिए दायर याचिका को केवल इसी आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था, यह कहना पर्याप्त है कि किसी वैध अधिकार के बिना प्राप्त जैर निगरानी पट्टे को रद्द करने के लिए संक्षम प्राधिकरण के रास्ते में कोई सीमा नहीं आनी चाहिए। इसलिये प्रकरण में म्याद कण्डोन करते हुये निगरानी श्रवणार्थ ग्रहण करते हैं।

अधिवक्ता प्रार्थीया का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि ग्राम पंचायत ने पुश्तैनी भूखण्ड का अप्रार्थी संख्या 1 ने विधिविरुद्ध तरीके से अपने पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया। विपक्षी अधिवक्ता ने अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुये निवेदन किया कि भंवरलाल को समस्त रितिरिवाजों से प्रार्थीया द्वारा गोद लिया गया था तथा प्रार्थीया के कोई भी पुत्र नहीं होने पर उनकी सहमति से ही जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया है, साथ ही प्रार्थीया प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार भी नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी की यह स्वीकारोक्ति है कि भंवरलाल को प्रार्थीया द्वारा गोद लिया गया था अर्थात् वह प्रार्थीया का पुत्र है। अधिवक्ता प्रार्थीया ने भी यह स्वीकार किया यदि उसे गोद मान भी लिया जाये तो भी पुश्तैनी सम्पत्ति का पट्टा अकेले के पक्ष में जारी नहीं किया जा सकता। प्रकरण में उभयपक्ष के कथनों से यह सुस्पष्ट है कि उक्त मकान रूघनाथजी, जो कि प्रार्थीया के पति है का है तथा उसी मकान का अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में यह स्वीकृत कथन है कि जैर निगरानी मकान पुश्तैनी है, जिसका सभी प्रभावित पक्षकारों को सुने बिना किसी एक व्यक्ति के पक्ष में पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। अब यदि प्रकरण में अप्रार्थी स्वयं की यह स्वीकारोक्ति है कि प्रार्थीया का गोदीपुत्र है तो प्रार्थीया के हितबद्ध नहीं होने के सम्बन्ध में उनके द्वारा किये गये कथन विधिसम्मत प्रतीत नहीं होते हैं। पुश्तैनी सम्पत्ति के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त 2024(2) WLC 168 (Raj.) Banshi lal vs State of Rajasthan & Ors में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994, धारा 97, भारत का संविधान, 1950 अनु. 226, पट्टा प्रदान किया



जाना-सम्पत्ति पैतृक है तथा याची के साथ ही उसके अन्य जीवित भाईयों व बहिनों का हित (अधिकारी) इसमें है-याची इस भूमि पर पूर्ण रूपेण अपना ही अधिवास होने का दावा करता है, जिससे ग्राम पंचायत ने अकेले ही उसके नाम में, अन्य सह-स्वामियों के आक्षेपों के करने के बाद भी पट्टा जारी किया था-अभिनिर्धारित जब तक विभाजन नहीं हो जाता तथा अंशों का सीमांकन नहीं हो जाता अथवा अन्य सह-स्वामी सहमति नहीं दे देते, तब तक पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है-अतः आदेश द्वारा इसको नामंजूर किया जाना उचित है-किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह न्यायिक दृष्टान्त 2024(5) WLC 210(Raj.) Banshi lal vs State of Rajasthan & Ors के अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994, धारा 97, भारत का संविधान, 1950, अनु. 226-ग्राम पंचायत ने बी के पक्ष में पट्टा जारी किया था परन्तु निगरानी में इसे रद्द कर दिया गया-चुनौती-विवादित सम्पत्ति पैतृक है तथा स्वयं बी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है-अन्यथा भी यह एच, बी के पिता के नाम में थी जिसके 4 पुत्र व 1 पुत्री है-अतः एच की मृत्यु होने पर, यह पैतृक सम्पत्ति है-महज लम्बे समय से काबिज होने से पट्टा (स्वामित्व का दस्तावेज) बी को जारी नहीं किया जा सकता है-आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में जैर निगरानी पट्टा पुश्तैनी सम्पत्ति का जारी किया गया है जिसमें सभी पक्षकारों की सुनवाई आवश्यक है, केवल एक व्यक्ति के पक्ष में बिना सभी पक्षकारों को सुने पट्टा जारी करना गलत है क्योंकि सम्पत्ति के सम्बन्ध में सभी वारिसानों के हित और अधिकार समान होते हैं, इसलिये न्यायसंगत निर्णय के लिए सभी सम्बन्धित पक्षों को अवसर देना आवश्यक होता है। सभी वारिसों को सुनना न्यायिक प्रक्रिया का मूल सिद्धान्त है ताकि किसी का अधिकार हनन न हो। प्रार्थी द्वारा जैर निगरानी याचिका ग्राम पंचायत द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध पेश कर जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को चुनौती दी है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2010) 1 WLC 472 uma soni vs Rajasthan State में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि It has been held that the patta issued by Gram Panchayat in contravention to the Rules of 1996 can be quashed in exercise of powers under Section 97 of the Act of 1994. धारा 97 में पंचायत की आज्ञा/कार्रवाई के सम्बन्ध में परीक्षण एवं अन्य उचित आदेश जारी किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारिता न्यायालय हाजा को ही प्रदत्त है तथा पट्टा, ग्राम पंचायत द्वारा पारित आज्ञा की अनुवर्ती कार्रवाई के तहत जारी किया जाता है। राजस्थान पंचायती राज नियम की धारा 97 के तहत ग्राम पंचायत के किसी आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य की जांच करने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को है। प्रार्थी द्वारा जैर निगरानी याचिका ग्राम पंचायत द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध पेश कर जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को चुनौती दी है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2010) 1 WLC 472 uma soni vs Rajasthan State में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि It has been held that the patta issued by Gram Panchayat in contravention to the Rules of 1996 can be quashed in exercise of powers under Section 97 of the Act of 1994. धारा 97 में पंचायत की आज्ञा/कार्रवाई के सम्बन्ध में परीक्षण एवं अन्य उचित आदेश जारी किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारिता न्यायालय हाजा को ही प्रदत्त है तथा



पट्टा, ग्राम पंचायत द्वारा पारित आज्ञा की अनुवर्ती कार्यवाही के तहत जारी किया जाता है। राजस्थान पंचायती राज नियम की धारा 97 के तहत ग्राम पंचायत के किसी आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य की जांच करने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को है।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 157(1) के तहत जारी किया गया हैं। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। पत्रावली पर उपलब्ध प्रश्नगत मिसल की प्रमाणित प्रति का अवलोकन करने पर यह पाते हैं कि ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, उसके साथ किसी प्रकार का नक्शा प्रस्तुत नहीं किया और प्रार्थना पत्र में नक्शा फिस के 10/- रुपये पेश होना अंकित किया परन्तु उक्त राशि वास्तव में कब, किस माध्यम से एवं किस रसीद संख्या के अन्तर्गत जमा कराई गई, इसका कोई अभिलेख अथवा प्रमाण रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। न ही ग्राम पंचायत के अभिलेखों में शुल्क जमा होने के सम्बन्ध में कोई प्रविष्टि पाई गई है। इसके अतिरिक्त पंचायत नियम 145 के अनुसार पंचायत से कोई भी आबाद भूमि खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति अपने आवेदन के साथ स्थल निरीक्षण के व्ययों के पेटे पच्चीस रुपये की राशि जमा करायेगा और यदि आवेदन के साथ स्थल नक्शा संलग्न नहीं किया गया हो, तो आवेदक नक्शा तैयार करने के लिए भी पच्चीस रुपये जमा करायेगा, जिसकी पालना हस्तगत मामलें में निश्चित रूप से नहीं की गई। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 20.02.2014, जो कि प्रथम आदेशिका थी, में अप्रार्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करना अंकित किया तथा सचिव को नक्शा बनाने हेतु निर्देशित किया गया, जिसकी पालना में जारी प्रश्नगत भूमि के नक्शे पर न तो नक्शा बनाने वाले के हस्ताक्षर हैं और न ही सायल के हस्ताक्षर हैं। इसके पश्चात् आदेशिका दिनांक 20.05.2014 के द्वारा मनोनीत पंचों को मौका रिपोर्ट पेश करने हेतु आदेशित किया गया, किन्तु किन तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जायेगा, उन्हें नामित नहीं किया गया। आवेदक द्वारा नियम 145(2) के तहत स्थल निरीक्षण के व्यय पेटे 25/- रुपये जमा करवाये जाने थे, इसके पश्चात नियम 146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 146(3) "क से ड" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) RLW(RJ) 1091 Dhrampal Singh vs Additional District Collector के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Rules, 1996, Rule 157 read with Rule 146 - Allotment bade by Village Panchayat-Not following the requirements of Rule 157-Additional Collector cancelled the allotment-Held-The village Panchayat had failed to follow the procedure prescribed for allotment or take into consideration the preconditions for invoking Rule 157 of the 1996 Rules. Petition dismissed.



इसी प्रकार 2009 WLC 759 Babu singh vs State of Rajasthan & Others. के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Act, 1994-S.97-The patta issuing order of the collector has been quashed as the order has been made in violation of the rules-The collector has exercised his power superficially in this mater which is not acceptable-Resolution for issuing the Patta has been set aside. उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण पर हूबहू चस्पा होता है। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में गवाहों के बयान निर्धारित प्रिटेड प्रारूप में है, जिसमें सुविधानुसार नाम अंकित किये गये हैं, जो कि पूर्णतया नियमों के विपरीत है। गवाहों के बयान व्यक्तिगत और स्वतंत्र रूप से लिये जाने चाहिए, न कि पूर्वनिर्धारित फॉर्मेट में, क्योंकि इससे गवाहों की सच्चाई और स्वतंत्रता पर सन्देह होता है, जो न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता और प्रामाणिकता के सिद्धान्तों का उल्लंघन करता है। पूर्व से प्रिटेड प्रारूप में बयानों में नाम भरना, गवाह के स्वतंत्र बयान को प्रभावित करता है। साथ ही गवाहों के बयान कब लिये गये इस सम्बन्ध में किसी दिनांक का अंकन नहीं है। प्रकरण में आदेशिका दिनांक 05.06.2014 के माध्यम से ग्राम पंचायत द्वारा एक माह की अवधि का आपत्ति नोटिस जारी किया जाना अंकित किया गया। उक्त आदेशिका में स्पष्ट रूप से यह दर्शाया गया है कि आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु नियमानुसार एक माह की अवधि प्रदान की जानी थी परन्तु इसके पश्चात् पारित आगामी आदेशिका दिनांक 20.06.2014 के अवलोकन से यह तथ्य सामने आता है कि उसमें यह अंकित किया गया है कि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, जबकि दिनांक 05.06.2014 से 20.06.2014 के मध्य केवल 15 दिवस की अवधि ही व्यतीत हुई थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यद्यपि ग्राम पंचायत द्वारा औपचारिक रूप से एक माह का आपत्ति नोटिस जारी करने का उल्लेख किया गया किन्तु व्यवहार में उस नोटिस की वैधानिक अवधि पूर्ण किए बिना ही कार्यवाही अग्रसरित कर दी गई। यह प्रक्रिया न केवल आपत्ति प्रस्तुत करने के अधिकार का हनन है बल्कि सम्बन्धित नियमों में निहित अनिवार्य प्रावधानों के प्रतिकूल भी है। इस सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 1995 DNJ (Raj) 458 Dhanraj and Anr vs Additional Collector, Ganganagar & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायत और न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, 1961-नियम 255 से 265-आबादी भूमि के विक्रय हेतु विस्तार से प्रक्रिया प्रकट है-प्रस्तुत मामले में यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई-भूमि क्रय करने हेतु आमंत्रण नहीं मांगें गए, कोई सूचना प्रकाशित नहीं हुई-कोई आपत्तियां भी नहीं मांगी गई और न सार्वजनिक निलाम ही हुआ, अभिनिर्धारित, यह तो स्पष्ट रूप से नियमों का ही अतिक्रमण न होकर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का भी अतिक्रमण है-विक्रय को अभिखण्डित किया गया। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त RRT 2003(1) page 174 के अनुसार राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 नियम 142 से 157-पंचायती राज अधिनियम, 1994-धारा 63 व 97-आपसी बातचीत से आबादी भूमि विक्रय की-जब तक नियम 156 में दी गई शर्तों की पालना न हो तब तक भूमि विक्रय नहीं की जा सकती और न पट्टा जारी किया जा सकता-प्रार्थी पिछले 15 वर्षों से भूमि के अधिपत्य में है इस आधार पर भी भूमि आपसी बातचीत से विक्रय नहीं की जा सकती-नियम 142 से 157 के प्रावधानों की पालना नहीं-अपर कलेक्टर ने विक्रय को अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। ग्राम



पंचायत ने पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी करते हुये अप्रार्थी के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत चोटिला द्वारा मिसल संख्या 68/20.02.2014, संकल्प संख्या 02 दिनांक 07.07.2014 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 64 दिनांक 07.07.2014 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख ग्राम पंचायत को इस आशय से प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/03/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. बजरंग सिंह)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली

अति. जिला कलेक्टर, पाली